

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वार्दी एवं उनके अभिव्यक्ति अनुपास्थित। वार्दी को आज्ञा-आयासत्र में प्रथक प्रथक समय पर तीन-तीन बार भावात्ते पत्रावली जारी। आवृत्त आवृत्ते पत्रावली जाने के उपरोक्त भी वार्दी के पत्रावली से हाजिर नहीं जाने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आरेख-9 क्रियम-3 के तहत अग्रम हाजरी व अग्रम पत्रकी में खारिज की जाती है। पत्रावली प्रेषित शुक्र होकर नम्बर से नाम होकर दखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	